तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा
	रामानन्द बनाम के माध्यम [illegible] T.I. प्र.सं. 124/2017 [illegible] 2018	
20-6-18	पत्रावली राजस्व मिश्र अदालत कैम्प कोर्ट कुण्डम में पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत की गई निषेधाज्ञा का वाद पत्र मिल गया है। मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्षों के आपसी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना प्रयोजनीय होगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्षों को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय से आपसी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाता है कि ग्राम कुण्डम तहसील दौसा स्थित ख.नं. 1463 रकबा 0.02 है. तथा 1464 रकबा 0.50 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.52 है. भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रकरण कैलाश कुमार प्रेम जन्म से बाद है तथा बाद तामिल प्रवेष्ठ लेख पक्षकारों एवं मूल वाद के संलग्न हो। निर्णय राजस्व मिश्र अदालत कैम्प कोर्ट कुण्डम के मुख्यालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।
	स्वाक्षरित सहायक कलक्टर दौसा